



प्रदर्श - "ब"

ग्राम सभा चोकावाडा की बैठक दिनांक 02.11.2017
का कार्यवाही विवरण

ग्राम चोकावाडा
स्थान चोकावाडा

दिनांक 02.11.2017

आज दिनांक 02.11.2017 को ग्राम चोकावाडा के सरपंच श्री/श्रीमती नकुल शम चौधरी की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 08 सदस्य 80% प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई -

1. ग्राम चोकावाडा में आवेदक रज्जरम्मीसी लिमिटेड, नगरनार ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु - हे० वन भूमि 9.80 हे० राजस्व वन भूमि, कुल 9.80 हे० वन भूमि की मांग की गई।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पंरपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि आई.टी. आई. पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं संबंधित संरचनाओं के निर्माण हेतु कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर पंरपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर पंरपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर पंरपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे० में)
01	चोकावाडा	निरंक	निरंक

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि - हे० वन भूमि 9.80 हे० राजस्व वन भूमि कुल योग 9.80 हे० वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स रज्जरम्मीसी लिमिटेड, नगरनार (आवेदक) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

हस्ताक्षर जनपद पंचायत जगदलपुर
नाम जिला बस्तर (अ.प्र.)
सरपंच नकुल शम चौधरी
सील ग्राम - चोकावाडा

उपस्थित सदस्य गण

क्रमांक	नाम	हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
01.	विद्या धर जाज (अध्यक्ष, वन अधिकारी सुरक्षा समिति)	
02.	अनंत शम सेठिया (सचिव, ग्राम पंचायत)	

ग्राम पंचायत चोकावाडा
जनपद पंचायत जगदलपुर
जिला बस्तर (अ.प्र.)